2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1 रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

प्र.कं. /2012 निगरानी – 881 – III/12

मुकेश भार्गव अधि. 9/4/12 को

किसना पुत्र रघुनाथ (फौत) वारिश

1 बद्रीलाल 2. बृजलाल

3. बाबूलाल पुत्रगण किसना धाकड़

4. कैलाश पुत्र हजारी

5. श्योंजी दत्तक पुत्र प्रहलाद

6. शंकर पुत्र गंगाराम,

7. इन्द्रकुमार पुत्र गंगाराम

8. हेमराज (हंसराज) पुत्र गंगाराम

समस्त निवासीगण ग्राम अजापुरा तहसील व जिला श्योपुर (म.प.)

..... आवेदकगण

मुकेश भार्गव 9-4-12 एडवोकेट ग्वालियर

विरूद्ध

म.प्र. शासन .... अनावेदक

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर श्योपुर के प्र.कं. 81/2010-11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27.2.2012 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

<u>संक्षिप्त तथ्य –</u>

1– यह कि, मौजा अजापुरा स्थित भूमि सर्वे कं. 243/2 रकवा 4 बीघा 13 विस्वा के भूमिस्वामी जानकीवल्लभ द्वारा लगभग 50 वर्ष पूर्व आवेदक 1 लगायत 3 के पिता किसना एंव आवेदक कं 6 लगायत 8 के पिता गंगाराम तथा आवेदक कं. 4 के पिता हजारी को मौखिक पटटे पर जोनते बोने के लिये उक्त भूमि दी थी आवेदकगण के पिता ने वादित भूमि पर खेती की थी तथा उनकी मृत्यु

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 881—एक/2012 जिला—श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
14—2—19	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 81/2010—11/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27.2.12 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:— धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन— (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना**	